

29

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबदा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता  
व वाद संख्या :- 279/2024

सुनील कुमार पुत्र जरनैलसिह जाति रायसिख निवासी वार्ड नम्बर 04, सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र जरनैलसिह जाति रायसिख निवासी वार्ड नम्बर 04, सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मन्जू पुत्री जरनैलसिह पत्नी राजेन्द्रसिह जाति रायसिख निवासी ढाणी सन्तारसिह वाली रानियां तहसील रानियां जिला सिरसा।
3. सुरजीतकौर पत्नी जरनैलसिह जाति रायसिख निवासी वार्ड नम्बर 04, सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 05.09.2024

वादी की ओर से श्री इन्द्रजीतसिह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि जरनैलसिह के नाम से चक नम्बर 2 एम.के.एस.-ए के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 161/146 में कुल 2.024 हैक्टर आराजी में से 1/11 हिस्सा तथा चक नम्बर 2 एम.के.एस.-बी के खाता संख्या 123/89 में कुल 0.759 हैक्टर आराजी में जरनैलसिह का 1/11 हिस्सा आराजी का वादी सुनील कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 2 एम.के.एस.-ए के खाता संख्या 161/146 व चक नम्बर 2 एम.के.एस.-बी के खाता संख्या 123/89 में से जरनैलसिह का नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया

30

जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वाति डगुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी

### वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
ये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
क्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
मेश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
देशिका की तामिल	---		
ग	---	योग	---